

ओमप्रकाश बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 593/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। जबाब स्टेट प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम है। अतः वाद वादी डिकी करते हुए रोही मौजा कल्लासर के खाता सं. 439/278 के ख.नं. 80, 90 की 12.650 है. सांझा खाता में दर्ज वादी का नाम ओम पुत्र बीरबल व खाता सं. ख.नं. 91, 94 की 1.405 है. सांझा खाता में दर्ज वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र बीरबल के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर एवं सुपरवण्ड अधिकारी कल्लासर</p>	

